2:22 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। वकील
वादी ने निवेदन किया कि साक्ष्य में पूर्व
में वादीया का शपथ पत्र पेश किया जा
चुका है। और साक्ष्य पेश नहीं करना
चाहते है। इसलिए साक्ष्य वादी बन्द किया
जाता है, वकील वादी ने निवेदन किया कि
प्रतिवादी सं०1 द्वारा इकबाल दावा पेश किया
जा चुका है व प्रतिवादी सं० 2 ता 8 के
विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है तहसीलदार
की ओर से विभाजन प्रस्ताव भी प्रेषित
किया जा चुका है। इसलिए वादी की बहस
सुनी जावे। पत्रावली का अवलोकन करने के
बाद वकील वादीया को बहस की अनुमति
दी गई। बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील
वादीया ने निवेदन किया कि वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

भूमि वादीया, प्रतिवादी सं० 1 व प्रतिवादी
सं० 2 ता 8 ~~कुलीदेवी~~ की माता के नाम
संयुक्त खाता में दर्ज है प्रत्येक का 1/3 हि०
दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तहसील से प्राप्त ~~बंटवारा~~
प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन करते हुए
वादीया के नाम प्रस्तावानुसार कृषि भूमि
दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। बहस पर
मनन किया जाकर एवं पत्रावली का अवलो
-कन करने के बाद पाया जाता है कि
वादी का वाद पत्र स्वीकार किए जाना
उचित प्रतीत होता है। अत: ~~वादीया~~ का
वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीया
को वादग्रस्त कृषि भूमि में से, वादीया
एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी सं० 2 ता
8 की माता कुलीदेवी के नाम से दर्ज कृषि
भूमि तहसील घड़साना के चक 11-12 RJM
के प.नं. 33/41 मु.नं. 29 के किला नं. 1
ता 25 की 5.578 हैक्टेयर [illegible]
कृषि भूमि का बंटवारा करते हुए उक्त
भूमि में से प.नं. 33/41 के किला नं.
3/0.126, 4/0.063, 7/0.138, 8/0.253,
9/0.127, 12/0.126, 13/0.253, 18/0.253,
19/0.127, 22/0.165, 23/0.228 कुल 1.859 हे०

उपखण्ड अधिकारी,
घड़साना

फर्द अहकाम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कृषि भूमि को वादीया तुलसीदेवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश दिया जाता है एवं शेष भूमि अन्य खातेदारान के नाम ही संयुक्त खाता में रहेगी। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार राजस्व घड़साना को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 22.8.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। अभिलाषा (R.A.S) उपखण्ड अधिकारी, घड़साना	